

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग मंत्रालय

क्रमांक एल 9-2/2005/ब-7/डीएमसी/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/5/2012


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त सभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले वाहन अग्रिम पर ब्याज दर का निर्धारण ।

—000—

राज्य की संचित निधि से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वाहन अग्रिम दिये जाने की स्थिति में ब्याज दरें वही रहेंगी जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए निर्धारित होंगी । वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये 14.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
तथा आदेशानुसार


(मनीष रस्तोगी)


आयुक्त बजट

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पू0क0 एल 9-2/2005/ब-7/डीएमसी/चार,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5/5/2012

1. सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेखा/मुख्य लेखा अधिकारी) मंत्रालय, भोपाल ।
5. समस्त वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिये अरोपित ।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
8. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।


(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग